

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:-०८/अ०प्र०-०१-३०/२०२५

५७८

पटना, दिनांक:- १५-१०-२५

ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन वर्ग-३ के वाहन चालक संवर्ग के कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने हेतु निम्नरूपेण स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है:-

१. **सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग** - अध्यक्ष
 २. संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग - सदस्य
 ३. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग - सदस्य
 ४. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य
 ५. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य
 ६. अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि - सदस्य
- श्री तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, पटना

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक:- १५-१०-२५

ज्ञापांक:-०८/अ०प्र०-०१-३०/२०२५ १०९२१

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव एवं अभियंता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक:- १५-१०-२५

ज्ञापांक:-०८/अ०प्र०-०१-३०/२०२५ १०९२१

प्रतिलिपि:-उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक:- १५-१०-२५

ज्ञापांक:-०८/अ०प्र०-०१-३०/२०२५ १०९२१

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव